(2)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 154/2021

राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना बगड, जिला झुंझुनूं।

—प्रार्थी

बनाम

रामोवतार पुत्र श्री मोतीलाल, जाति ब्राहमण, उम्र 40 वर्ष, निवासी चिंचडौली, पुलिस थना बगड, जिला झुंझुनूं।

—अप्रार्थीगण

मु0न0 152/2021 दिनांक 12.06.2021 जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम पुलिस थाना बगड, जिला झुंझुनूं मे जप्त शुदा पेट्रोल को अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात मे लिये जाने के संबंध मे।

—

उपस्थितः—

1. श्री विकास महला, विभागीय प्रतिनिधि— प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी— स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक 15.12.2021

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना, बगड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.06.2021 को श्री भंवरलाल पुत्र केसरराम, जाति जाट, उम्र 55 साल, निवासी क्यामसर, पुलिस थाना मौलासर, जिला नागौर हाल आरपीएस वृताधिकारी, वृत्त ग्रामीण झुंझुनूं ने वापसी थाना पर फर्द जप्ती इस आशय की पेश कि आज दिनांक 12.06.2021 को समय 10.20 ए0एम0 पर मन वृत्ताधिकारी भंवरलाल आरपीएस मय गनमैन श्री बलराम आरक्षी नं0 1033 मय सरकारी गाडी चालक श्री बंशीलाल आरक्षी नं0 1062 मय अनुसंधान बॉक्स मय लेपटॉप व प्रिन्टर के वास्ते करने अवैध पेट्रोल व डीजल बेचने वालों के खिलाफ कारवाई हेतु कार्यालय से रवाना होकर थाना बगड पहुंचा तथा थाना बगड से इमदाद हेतु श्री पवन कुमार मुख्य आरक्षी नं0 53, श्री चेनाराम आरक्षी नं0 286, श्री रूपेन्द्र आरक्षी नं0 1044, श्री रणवीर आरक्षी नं0 940, श्री अनिल कुमार आरक्षी नं0 1096 को समय 11.02 ए0एम0 पर लिये जाकर थाना बगड से रवाना होकर समय 11.20 ए0एम0 पर मौजा इस्लामपुर पहुंचा जहां पर हमरा आरक्षी श्री अनिल कुमार नं0 1096 के पास जरिये मुखबीर खास से सूचना मिली कि गांव चिंचडौली मे रामोवतार पुत्र मोतीलाल ब्राहमण ने अपनी दुकान के आगे पेट्रोल का भरा हुआ जरीकन रख रखा है तथा उसमे से एक लीटर पेट्रोल 110 रूपये के भाव से बेच रहा है इत्यादि ईतला आरक्षी की विश्वसनीय होने पर मौजा इस्लामपुर से रवाना होकर 11.30 ए0एम0 पर चिंचडौली गांव मे बनदेव गेट के पास खडा होकर हमराही जाप्ता मे से श्री रणवीरसिंह आरक्षी नं0 940 को एक लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए एक सौ रूपये का नोट जिसके नम्बर 3DM 163658 एक दस रूपये का नोट जिसके नम्बर 66U 630482 को देकर हिदायत हुयी कि आप बोगस ग्राहक के रूप मे रामोवतार की दुकान पर जाकर पेट्रोल खरीद करे तथा पेट्रोल देने पर मन वृताधिकारी को हाथ का ईशारा करे इत्यादि हिदायत के बाद आरक्षी रणवीरसिंह को रवाना किया तथा मन वृताधिकारी मय जाप्ता गेट के पास आरक्षी के ईशारे के लिये मशगुल हुआ। समय 11.40 ए0एम0 पर श्री रणवीर सिंह आरक्षी द्वारा मन वृताधिकारी को हाथ का ईशारा किया जिस पर मन वृताधिकारी मय जाप्ता के द्वारा आरक्षी के ईशारे के अनुसार चिंचडौली भडून्दा रोड पर स्थित दुकान पर पहुंचा जिसके आगे

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

एक नीले रंग का जरीकन तथा उसके पास एक कीमा व एक छोटी पाईप तेल निकालने की रखी हुयी मिली। आरक्षी रणवीर ने दुकान में बैठे व्यक्ति के लिये बताया कि मेरे को आपके द्वारा दिये गये 110 रूपये में एक लीटर की बोतल में पेट्रोल दिया है जिस पर शख्स का नाम पता पूछा तो अपना नाम रामोवतार पुत्र श्री मोतीलाल, जाति ब्राहमण, उम्र 40 साल, निवासी चिचडौली पुलिस थाना बगड होना बताया जिसको चैक किया तो उसकी पेंट की जेब में 110 रूपये मिले जिनको चैक किया तो एक सौ रूपये का नोट जिसके नम्बर 3DM 163658 व एक दस रूपये का नोट जिसके नम्बर 66U 630482 के मिले जो मन वृताधिकारी द्वारा आरक्षी को दिये गये थे उन्ही नम्बरों के नोट मिले थे। जिस पर शक्स को जरीकन में क्या वस्तु है बाबत पूछा तो शख्स रामोवतार ने बताया कि इसमें पेट्रोल है। जिस पर शक्स को उक्त पेट्रोल बेचने बाबत लाईसेन्स या अनुज्ञापत्र पूछा तो अपने पास कोई लाईसेन्स या अनुज्ञापत्र होना नही बताया। शक्स रामोवतार द्वारा इतनी मात्रा में पेट्रोल अपने कब्जे में रखकर बेचना जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की खिलाफवर्जी में आना पाया जाने पर जिस पर जरीकन में रखे पेट्रोल व आरक्षी को बेची गयी बोतल व शक्स के पास मिले पेट्रोल बेचान के 110 रूपयों को कब्जा पुलिस में लिया गया। दुकान पर रखे जरीकन में से पेट्रोल का नाप किया गया तो जरीकन में बोतल सहित कुल 44 लीटर पेट्रोल मिला। जिस पर जरीकन में से 375 एम0एल0 पेट्रोल एक कांच के हाफ में बतौर नमूना सेम्पल निकाला जाकर मार्क A अंकित किया जाकर शील्ड मोहर किया गया तथा 375 एम0एल0 पेट्रोल एक कांच के हाफ में बतौर कन्ट्रोल सेम्पल निकाला जाकर मार्क **B** अंकित कर शील्ड मोहर किया गया तथा शेष 43 लीटर 250 एम0एल0 पेट्रोल को उसी नीले रंग के जरीकन में डालकर मार्क C अंकित कर शील्ड मोहर किया गया। शख्स रामोवतार द्वारा बॉगस ग्राहक के रूप में श्री रणवीरसिंह आरक्षी को एक लीटर पेट्रोल 110 रूपये में बेचा था उन सौ रूपये के नोटो को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर मार्क D अंकित कर शिल्ड मोहर की गयी तथा मौके पर बेचने के उपकरण एक कीमा, एक पाईप व रणवीर आरक्षी को बेचे गये पेट्रोल की खाली बोतल को एक कटटे में डालकर मार्क E अंकित कर शील्ड मोहर किये गये। मौके पर स्वतंत्र गवाहान बाबत राहगीरों से निवेदन किया गया मगर सभी ने कोरोना कोविड 19 महामारी को देखते हुये स्वतन्त्र गवाहान बनने से इन्कार कर दिया। शक्स रामोवतार को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। फर्द पर नमूना सील अंकित की जायेगी। उक्त सम्पूर्ण कारवाई मौके पर मन वृताधिकारी के लेपटॉप व प्रिन्टर से फर्द जप्ती के प्रिट आउट किये गये इत्यादि फर्द जप्ती पर मु0न0 152/21 जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम मे कायम कर अग्रिम अन्वेषण मन थानाधिकारी श्रवण कुमार उ0नि0 द्वारा किया गया। दौराने अन्वेषण ब्यान श्री भंवरलाल, श्री पवन कुमार, श्री बलराम, श्री चेनाराम, श्री रूपेन्द्र, श्री अनिल कुमार, श्री रणवीरसिंह, श्री सुरेन्द्रसिंह, श्रीमती सुरकेश के अन्तर्गत धारा 161 जा0फौ0 में लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण हाजा के घटनास्थल का चश्मदीद गवाह की मौजूदगी में निरीक्षण किया जाकर नक्शा मौका मय हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी से अनुसंधान किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर है। नमूना सेम्पल को जमा एफएसएल करवाये जाकर एफएसएल रसीद शामिल की गई। फर्द जप्ती अधिकारी मय जाप्ता व एफएसएल कैरियर की आमद नकल रपट व मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की गईं। मालखाना रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपी प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी। प्रकरण हाजा में सम्पूर्ण की तफतीश हासला ब्यान गवाहन व पत्रावली पर आयी उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर मुलजिम रामोवतार पुत्र श्री मोतीलाल, जाति ब्राहमण उम्र 40 साल, निवासी चिचडौली, पुलिस थाना बगड के खिलाफ जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध बनना पाया गया है। श्रीमानजी से निवेदन है प्रकरण हाजा में जप्त शुदा पेट्रोल को अन्तर्गत धारा 6A आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात में लिया जाकर निस्तारण आदेश फरमाने की करावे।

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि मौके पर 43 लीटर 250 एम0एल0 पेट्रोल मय एक नीले रंग का जरीकन, एक कीमा व एक छोटी पाईप तेल निकालने की तथा 110 रूपये नकद जप्त किये गये है। अप्रार्थी को बिना लाईसेन्स पेट्रोल बेचने का कोई अधिकार नही है। पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे स्वीकार कर जप्तशुदा पेट्रोल निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

अप्रार्थी ने विभागीय प्रतिनिधि के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने कोई पेट्रोल विक्रय नही किया है। अप्रार्थी के विरूद्व झूठी कार्यवाही की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि जिले मे काफी पेट्रोल पम्प है फिर अप्रार्थी ने अपने घर पर 43 लीटर 250 एम0एल0 पेट्रोल क्यों रखा है। पेट्रोल घर पर रखना खतरनाक है। क्योंकि किसी भी तरह की दुर्घटना/आग लगने पर बचाव के कोई उपाय अप्रार्थी के पास नही है। यदि अप्रार्थी को उक्त पेट्रोल बेचान नही करना था तो मौके पर माप क्यों रखे गये थे इसका अप्रार्थी ने बहस मे सन्तोषजनक जबाब नही दिया है। अतः प्रकरण मे निम्न प्रकार आदेश दिये जाते हैः—

1. डीजल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये इस डीजल का निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है।

2. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा 43 लीटर 250 एम0एल0 पेट्रोल मय एक नीले रंग का जरीकन, एक कीमा व एक छोटी पाईप तेल निकालने की का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर नियंत्रित कीमत पर विक्रय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना बगड को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.12.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/12/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

जिला कलक्टर झुन्झुनूं